भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 65

दिनांक 02.02.2021/13 माघ,1942 (शक) को उत्तर के लिए

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में महिला कर्मी

65. श्री हरीश द्विवेदीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में महिला कर्मियों की पद-वार एवं बल-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार का सीएपीएफ में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाने का विचार है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में महिला कर्मियों की भर्ती को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार का इस संबंध में कोई विशेष भर्ती अभियान शुरू करने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन बलों में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या कितनी है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): महिला कार्मिकों की बल-वार तथा रैंक-वार कुल संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख) और (ग): जनवरी, 2016 में, यह निर्णय लिया गया था कि आरंभ में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में कांस्टेबल स्तर पर 33% पदों और सीमा रक्षक बलों अर्थात बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी में कांस्टेबल स्तर पर 14-15% पदों को महिलाओं से भरे जाने के लिए आरक्षित किया जाएगा। महिला कार्मिकों की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): विशेष रूप से महिला अभ्यर्थियों के लिए किसी विशेष भर्ती अभियान का प्रस्ताव नहीं है।

*****

लो.स. अता. प्र.सं.65 दिनांक 02.02.2021

अनुलग्नक-I

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) में महिला कार्मिकों की संख्या का ब्यौरा

बल का नाम	**महिला कार्मिकों की संख्या**		**कुल**
	राजपत्रित	**अराजपत्रित**	
सीआरपीएफ	427	7821	8248
बीएसएफ	140	5179	5319
सीआईएसएफ	54	8503	8557
आईटीबीपी	117	1989	2106
एसएसबी	43	2009	2052
एआर	4	881	885
कुल	**785**	**26382**	**27167**

लो.स. अता. प्र.सं.65 दिनांक 02.02.2021

अनुलग्नक-II

सीएपीएफ में महिला कार्मिकों की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

1. प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करके भर्ती आयोजित की जा रही है। सभी महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है।

2. सीएपीएफ में भर्ती के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की तुलना में सभी महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में ढील दी गई है।

3. सीएपीएफ महिला कार्मिकों को भी केन्द्र सरकार के तहत पहले से उपलब्ध मातृत्व अवकाश, बच्चा देखभाल अवकाश जैसी सुविधाएं प्राप्त हैं।

4. महिला कार्मिकों की भर्ती करने के लिए बोर्ड के एक सदस्य के रूप में एक महिला सदस्य को शामिल किया जाता है।

5. सीएपीएफ द्वारा महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए क्रेच और डे-केयर सेंटर उपलब्ध कराए गए हैं।

6. यौन उत्पीड़न को रोकने और महिला कार्मिकों की शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए सभी स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है।

7. भर्ती नियमों के अनुसार महिला कार्मिकों को अपने पुरुष सहकर्मियों के बराबर अपने कैरियर प्रोग्रेशन अर्थात पदोन्नति/वरिष्ठता में समान अवसर प्रदान किए गये हैं।

*****